



छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

एल.आई.सी. परिसर, पण्डरी, रायपुर, - 492004 (छत्तीसगढ़)

दूरभाष कार्यालय-2583789-90, फ़ैक्स: 0771-2583794

Website: www.csidc.in, Email address: csidc.cg@nic.in, csidc_raipur@yahoo.com

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 05/का.अ.(तक-3)/2010-11/

रायपुर, दिनांक 27/07/2010

सीएसआईडीसी द्वारा मुहरबंद निविदाए फार्म-ए (प्रति 1त दर) निम्नलिखित कार्य हेतु इस निगम मे अ-1 श्रेणी तथा इससे उपर श्रेणी मे पंजीकृत टेकेदारो से इस निगम द्वारा अंगीकृत प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भवन निर्माण कार्य हेतु दिनांक 01.06.2009 से प्रभावशील एवं अब तक संशोधित अनुसूची दर (एस.ओ.आर) पर दिनांक 13/08/2010 को अपरान्ह 03.00 बजे तक सीएसआईडीसी तक-3 पंडरी कार्यालय मे आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाए उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारो के समक्ष खोली जावेगी।

स.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत रू.	आमानत राशि रू.	निविदा प्रपत्र मूल्य रू.	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	औद्योगिक क्षेत्र, बोरई मे स्टॉफ क्वार्टर एवं स्थल कार्यालय मे चहार दिवारी का निर्माण कार्य।	रू 9.00 लाख	7000/-	750.00	3 माह वर्षा ऋतु सहित

शर्त :-

- (1) कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के कार्यपालन अभियंता तकनीकी-3 से कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य नगद भुगतान कर दिनांक 12/08/2010 को अपरान्ह 2.00 बजे तक मुख्यालय पंडरी, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (2) निविदा आवेदन के साथ समान कार्य का पचास प्रतिशत एक ही अनुबंध मे तथा समयावधि मे पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (3) निविदा आवेदन के साथ वाणिज्यिक कर चुकता प्रमाण पत्र, जीवित पंजीयन एवं साल्वेंसी तथा टर्मओव्हर, आयकर, विक्रयकर पंजीयन की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (4) अमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक का डिमांड ड्राफ्ट, समयावधि जमा रसीद जो कि प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी, रायपुर के पक्ष मे देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (5) कार्य मे उपयोग की जाने वाली गौण खनिज का रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात ही अंतिम देयक का भुगतान किया जायेगा।
- (6) निविदा स्वीकृति उपरांत संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मे प्राप्त कार्य का पंजीयन कराने के पश्चात ही कार्यादेश दिया जावेगा। साथ ही भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 3 (1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (Construction Works) पर 1 प्रतिशत उपकर (सेस) देय होगा। देयको के भुगतान मे से उक्त राशि काटी जावेगी।
- (7) कोई भी या सभी निविदाये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालन अभियंता
(तक-3)